

36TH ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE) THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN JANSATTA_20.06. 2025 Page No. 28



फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : डी-5, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015 (भारत)
फोन : +91-11-25101002 / 03 / 04 / 05, ई-मेल : investor@fiemindustries.com
वेबसाइट : www.fiemindustries.com सीआईएन : L36999DL1983PLC034928

विषय: 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक (अग्रिम सूचना)

- एवढारा सूचना दी जाती है कि फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र 09/2024 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी 2/पी / सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए और सेबी संकुलरस" के रूप में संदर्भित) और अन्य सभी लागू कानूनों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को करने के लिए आयोजित की जाएगी।
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक वेब-लिंक और एक क्यूआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है।
- सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि हेतु अनुरोध एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के लिए की जाएगी। 36वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। आगे, उन शेयरधारकों, जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं अथवा जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कंपनी/आरटीए अथवा डीपी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट्स पर उपलब्ध एजीएम की सूचना डाउनलोड करें तथा उसमें एजीएम से जुड़ने और भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि के संबंध में दिए गए उल्लिखित विस्तृत अनुरोधों का पालन करें।
- संशोधित लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी ने इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश (यदि एजीएम में घोषित किया जाता है) के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में गुरुवार, 24 जुलाई 2025 को तय किया है।
- ई-मेल पता, बैंक विवरण तथा मोबाइल नंबर और लाभांश प्राप्त करने हेतु बैंक आदेश पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि:**
1 अप्रैल, 2024 से, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भुगतान कोलियों के केवाईसी अनुपालन यानी पेन, मोबाइल नंबर सहित संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और आरटीए/कंपनी के साथ नमूना हस्ताक्षर पंजीकृत करने पर किया जाएगा। [सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024]
जिन शेयरधारकों ने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल पंजीकृत नहीं किया है और/या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता अधिदेश को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त विवरण तुरंत निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत/अपडेट करें:
(i) **डीपी के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण:** यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाते में डीपी द्वारा सट्टाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/अद्यतित करवा लें।
(ii) **आरटीए के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण:** यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, शेयरधारकों को तुरंत ईमेल आईडी, मोबाइल और अन्य केवाईसी विवरणों को investor@fiemindustries.com पर निर्धारित फॉर्म ISR-1 जमा करके या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजकर पंजीकृत/अपडेट करना चाहिए। शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट <https://fiemindustries.com/investor-services-forms/> से निवेशक अनुभाग के तहत या आरटीए की वेबसाइट <https://web.in.mps.mfg.com/KYC-downloads.html> से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- यदि कंपनी किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान सदस्य का बैंक खाता अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से करने में असमर्थ रहती है, तो कंपनी ऐसे सदस्य को डिमॉंड ड्राफ्ट, यथासंभव शीघ्र, अनुमत्य विधियों से प्रेषित करेगी।
- रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि:**
(i) सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
(ii) अभौतिक रूप, भौतिक रूप में कंपनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") की विधि एजीएम की सूचना में दी जाएगी।
(iii) ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित जिन सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम के दौरान वोट डाल सकते हैं।
(iv) सदस्यों को ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालने के लिए लॉगइन प्रत्ययपत्र ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्यगण, जिनको ई-मेल प्राप्त नहीं होती है अथवा उनका ई-मेल पता कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में दिए अनुरोधों का पालन कर लॉगइन प्रत्ययपत्र बना सकते हैं।
(v) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कट-ऑफ तिथि अर्थात् 24 जुलाई, 2025 को उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- लाभांश पर टीडीएस:**
आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दर पर सदस्यों को दिए गए लाभांश से सोत पर कर ("टीडीएस") काटना आवश्यक है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ या यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो आरटीए के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पेन, श्रेणी को पूरा/अपडेट करें। इससे जलवा, आईटी अधिनियम और अन्य लागू दस्तावेजों के तहत लागू फॉर्म 15G/15H/10F जमा करना होगा। सदस्य हमारे आरटीए, एमयूएफजी इन्स्टाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <https://web.in.mps.mfg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> लिंक पर जा सकते हैं।
सदस्यों से अनुरोध है कि 36वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अथवा 36वीं एजीएम के दौरान वोट डालने की विधि संबंधी अनुरोध सावधानी के साथ पढ़ लें।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./—
अरविन्द के. चौहान
कंपनी सचिव

तिथि : 20 जून, 2025
स्थान : दिल्ली

36TH ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE) THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS _20.06.2025 Page No. 29



FIEM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: D-5, Mansarovar Garden, New Delhi-110015 (INDIA)
Tel: +91-11-25101002/03/04/05 E-Mail: investor@fiemindustries.com
Website: www.fiemindustries.com CIN: L36999DL1989PLC034928

Re: 36TH ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE)

1. NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, July 31, 2025 at 10:30 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular 09/2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated September 19, 2024 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 (hereinafter collectively referred to as "MCA and SEBI Circulars") and all other applicable laws, to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.
2. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2025 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("DP"), in accordance with the MCA and SEBI Circulars. A letter providing a web-link and a QR code for accessing the Notice of the AGM and the Annual Report will be sent to those members who have not registered their email IDs.
3. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and casting of votes through remote electronic voting or through the e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 36th AGM will be available on the website of the Company at www.fiemindustries.com on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Further, those shareholders who hold shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/RTA or DP, are requested to download the AGM Notice, once available on above mentioned websites and follow detailed instructions mentioned therein about joining & participating in AGM, manner of casting vote through remote e-voting or casting vote through e-voting system during the AGM.
4. Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, as amended, Company has fixed Thursday, July 24, 2025 as Record Date for determining the entitlement of members for final dividend for FY 2024-25 on Equity Shares, if declared at the AGM.
5. **Manner of registering / updating email addresses & mobile No. and Bank mandate for receiving Dividend:**
With effect from April 1, 2024, dividend to members who holding shares in physical form shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made upon folio being KYC compliant i.e. registering their PAN, contact details including mobile no., bank account details and specimen signature with RTA/ Company. [SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024].
The shareholders, who have not registered their email address & mobile with the Company/RTA/Depositories and/or not updated the Bank Account mandate for receiving the dividend directly in their Bank Account through Electronic Clearing Service (ECS), are requested to register / update the above details immediately, in the following manner:
(i) **Registering / updating the details with DP:** In case the Shares held in demat mode, such shareholder should register / update the email address, mobile no., bank account details and other KYC in his / her demat account as per process advised by the DP.
(ii) **Registering / updating the details with RTA:** In case the shares held in physical mode, the shareholders should immediately register / update the email ID, mobile and other KYC details by submitting prescribed Form ISR-1 at e-mail investor@fiemindustries.com or sending at registered office of the Company. Shareholders may download the prescribed Forms from the Company's website at <https://fiemindustries.com/investor-services-forms/> under Investor section, or from website of RTA <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html>
6. In the event, Company is unable to pay the dividend to any member through electronic mode, due to incomplete Bank account details of the member, the Company shall dispatch the demand draft to such Member, at the earliest possible through permissible modes.
7. **Manner of casting vote(s) through remote e-voting or through e-voting during the AGM:**
(i) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").
(ii) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode or physical mode, who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM.
(iii) The facility for voting through e-voting system will also be made available during AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM to be held through VC/OAVM.
(iv) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / RTA/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM.
(v) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. July 24, 2025.
8. **TDS on Dividend:**
As per the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to members at the prescribed rate. Therefore, Members are requested to complete/update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical form, with RTA. Further, to submit the applicable Form 15G/15H/10F under the IT Act and other applicable documents, members can visit the website of our RTA, MUFG Intime India Pvt. Ltd. at the link <https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>
Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the 36th AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the 36th AGM.

Date : 20/06/2025
Place : Delhi

For Fiem Industries Ltd.
Sd/-
Arvind K. Chauhan
Company Secretary